भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
तारांकित प्रश्न संख्या- *253
दिनांक 18 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

पशु रोग

***253. श्रीमती मालविका देवी:**

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पशुओं में रोगों को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों तथा उनको दिए जा रहे निःशुल्क टीकाकरण का ब्यौरा क्या है तथा सरकार प्रतिरक्षण कार्यक्रमों को किस प्रकार बढ़ावा दे रही है;

(ख) डेयरी क्षेत्र में लगे छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका बढ़ाने के लिए राजसहायताओं और योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ग) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

पशु रोग के संबंध में श्रीमती मालविका देवी द्वारा पूछे गए दिनांक 18.03.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा के तारांकित प्रश्न संख्या 253 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) पशुओं में रोगों को नियंत्रित करने तथा टीकाकरण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण इस प्रकार है:

i. पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएचडीसीपी) योजना के तहत खुरपका और मुंहपका रोग (एफएमडी), ब्रूसेलोसिस, पेस्टे डेस पेटिटिस (पीपीआर) तथा क्लासिकल स्वाईन ज्वर(सीएसएफ) के लिए टीकाकरण हेतु 100% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। केंद्रीय रुप से गुणवत्तापूर्ण टीकों की खरीद और आपूर्ति की जाती है। टीकाकरण संबंधी एसेसरी की खरीद, शीत श्रृंखला अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण, टीका लगाने वालों के पारिश्रमिक जागरुकता सृजन- आदि के लिए राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है।

ii. LHDCP योजना के पशुरोग के नियंत्रण हेतु राज्य को सहायता (ASCAD) उप-घटक के अंतर्गत राज्य प्राथमिकता प्राप्त विदेशी, उभरते हुए और जूनोटिक पशुरोगों, जिनमें लंपी त्वचा रोग, ब्लैक क्वार्टर, हेमोरेजिक सेप्टीसीमिया शामिल है, के टीकाकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नैदानिक अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण तथा क्षमता निर्माण और पशु चिकित्सकों और पैरा-पशु चिकित्सकों के प्रशिक्षण के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

iii. LHDCP योजना के अंतर्गत पशु चिकित्सा अस्पतालों और डिस्पेंसरियों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण- मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां (ईएसवीएचडी-एमवीयू) उप-घटक निदान, किसानों के द्वार पर उपचार हेतु मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) के परिचालन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्तमान में, देश भर में 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 4016 एमवीयू कार्य रही हैं।

iv. एलएचडीसीपी योजना के अंतर्गत टीकों की गुणवत्ता परीक्षण, सीरो-मॉनिटरिंग, सीरो-सर्विलांस, कंफर्मेटरी निदान, प्रयोगशाला कर्मियों के प्रशिक्षण और अन्य संगत कार्यकलापों के लिए प्रयोगशालाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

v. "महामारी संबंधी तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण" संबंधी महामारी निधि परियोजना के तहत क्षमता निर्माण, अवसंरचना संवर्धन और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

vi. रोगों के प्रकोपों से संबंधित प्रतिक्रिया हेतु पशुधन रोगों के लिए संकट प्रबंधन योजना (सीएमपी) तैयार की गई है।

vii. पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए मानक पशुचिकित्सा उपचार दिशानिर्देश (एसवीटीजी) तैयार किए गए हैं।

(ख) और (ग डेयरी सेक्टर में लगे छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका में सुधार करने के लिए और देश में दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए सब्सिडी और योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

(i) देश में देशी बोवाइन नस्लों के विकास और संरक्षण, बोवाइन आबादी के आनुवंशिक उन्नयन, दूध उत्पादन और बोवाइनों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए दिसंबर 2014 से राष्ट्रीय गोकुल मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना से 8.5 करोड़ से अधिक डेयरी किसानों को लाभ मिला है।
दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए और डेयरी सेक्टर में लगे छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका में सुधार करने के लिए आरजीएम के तहत महत्वपूर्ण कदम हैं, राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, सेक्स सॉर्टेड सीमन का उपयोग करने त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम और इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) तकनीक, जीनोमिक चयन हेतु जीनोमिक चिप, संतति परीक्षण और नस्ल चयन कार्यक्रम तथा बहुउद्देशीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों (मैत्री) का प्रशिक्षण और सुसज्जिकरण।

(ii) राष्ट्रव्यापी किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) अभियान के तहत जून, 2020 से पशुपालन और डेयरी कार्यकलापों में लगे किसानों को 42,67,070 नए केसीसी जारी किए गए हैं।

(iii) पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) के तहत डेयरी प्रसंस्करण संबंधी कार्यकलापों और मूल्य वर्धन अवसंरचना के लिए व्यक्तियों, उद्यमियों, निजी कंपनियों,एमएसएमई, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), धारा 8 कंपनियों और डेयरी सहकारी समितियों को 3% ब्याज सबवेंशन प्रदान किया जाता है।

डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन श्रेणी के अंतर्गत 135 परियोजनाओं के लिए कुल 8153 करोड़ रुपए के निवेश का लाभ उठाया गया है। डेयरी सेक्टर में विकास को बढ़ावा देने के लिए 196 लाख लीटर प्रतिदिन (एलएलपीडी) की क्षमता वाली 131 परियोजनाओं के लिए लगभग कुल 174 करोड़ रुपए का ब्याज सबवेंशन जारी किया गया है।

(iv) राष्ट्रीय पशुधन मिशन उद्यिता विकास कार्यक्रम (एनएलएमईडीपी) के तहत भारत में डेयरी सेक्टर के इन्पुट में सुधार करते हुए विभिन्न चारा प्रसंस्करण और ग्रेडिंग इकाईयों की स्थापना के लिए व्यक्तियों, एफपीओ , एसटीआईजी, जेएलजी, एफसीओ तथा धारा 8 कंपनियों के 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है।

एनएलएम उद्यमिता विकास कार्यक्रम (NLM-EDP) के पशु आहार और चारा घटक के अंतर्गत 108.26 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत और 47.43 करोड़ रुपये की अनुमोदित सब्सिडी के साथ 433800 एमटी प्रतिवर्ष की कुल क्षमता वाले कुल 116 आवदेनों को अनुमोदित किया जा चुका है।

(v) दूध खरीद, प्रसंस्करण अवसंरचना के साथ साथ दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को सहायता देने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) तथा डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों की सहायता (एसडीसीएफपीओ) को कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

ये योजनाएं गुणवत्तापूर्ण दूध परीक्षण उपकरण और डेयरी अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए अवसंरचना के सृजन/सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केंद्रित करती हैं और राज्य दूध परिसंघों/संघों/दूध उत्पादक कंपनियों के माध्यम से दूध उत्पादकों/किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्रदान करती हैं।

****